



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 15.07.2021

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा चोरी की बाईक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी कविनगर के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 14.7.21 को ए0एल0टी तिराहे से सैक्टर -23 संजयनगर गाजियाबाद से अभियुक्त मोन्टी उर्फ मोनू ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम को मय चोरी की मो0सा0 न0 यू0पी0ई0पी0 4953 हीरो एच0पी0 डिलेक्स सहित गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता अभियुक्त -

1- अभियुक्त मोन्टी उर्फ मोनू ज्ञानेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रहीसपुर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद अपराध करने का तरीका -

अभियुक्त मोन्टी उर्फ मोनू शातिर किस्म का वाहन चोर है जो एकान्त क्षेत्र व पार्कों के आस पास खड़ी मोटर साईकिलो की चोरी करता है अभियुक्त मोन्टी उर्फ मोनू के अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

1- मोटर साईकिल न0 - यू0पी0ई0पी0 4953 हीरो एच0पी0 डिलेक्स (सम्बन्धित मु0अ0स0 -405/21 धारा 379/411 भादवि थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गौकशी का 01 नफर शातिर वांछित अपराधी गिरफ्तार

कार्यवाही -श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 15.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब गौकशी मे वांछित एक नफर अभि0 नन्हे पुत्र शराफत नि0 ग्राम झुण्डपुरा थाना मसूरी उम्र-37 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर बब्ल गढी मेरठ एक्सप्रेसवे अण्डरपास से समय लगभग 03.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्त नन्हे उपरोक्त द्वारा अपने साथियों (1) अख्तर पुत्र गुल मौहम्मद नि0 कल्लुगढी थाना मसूरी (2) सलीम पुत्र नामालूम नि0 झुण्डपुरा थाना मसूरी (3)मेहराज पुत्र नजीर उर्फ बुन्दू नि0 ग्राम झुण्डपुरा के साथ मिलकर आवारा घूमते गौवंश को सुनसान जगह ले जाकर गौकशी कर उसके मांस को अलग अलग जगह बेचकर आर्थिक/भौतिक धन अर्जित करते हैं दिनांक 13.06.21 को अभि0गण मेहराज के घर पर गौकशी कर रहे थे कि मौके पर पुलिस वालो के आने पर अभि0गण गाय व गाय काटने के उपकरण छुरी गडासा आदि छोडकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना मसूरी पर मु0अ0स0-510/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 बनाम मेहराज आदि 03 नफर उपरोक्त व मु0अ0स0 511/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मेहराज तथा मु0अ0स0 512/21 धारा 4/25 ए एक्ट बनाम अख्तर उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किये गये। उपरोक्त अभियोगो मे अभियुक्त अख्तर व मेहराज को पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है तथा वांछित चल रहे अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर बब्ल गढी मेरठ एक्सप्रेसवे अण्डरपास से समय लगभग 03.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

नन्हे पुत्र शराफत नि0 ग्राम झुण्डपुरा थाना मसूरी उम्र-37

बरामदगी-

(1) एक अदद नाजायज छुरी

आपराधिक इतिहास अभि0 नन्हे-

- (1) मु0अ0स0 510/21 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी
- (2) मु0अ0स0 630/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी
- (3) मु0अ0स0 05/16 धारा 4/25 ए एक्ट थाना कविनगर
- (4) मु0अ0स0 222/16 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर
- (5) मु0अ0स0-551/18 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0थाना मसूरी
- (6) मु0अ0स0 605/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मसूरी

सराहनीय कार्य जनपद गाजियाबाद

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 09 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा सहित 03 नफर शातिर अभियुक्त गांजा तरकर गिरफ्तार

कार्यवाही: श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दिनांक-14.07.21 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 सोनू कुमार व उ0नि0 अनुराग सिंह द्वारा 03 नफर अभियुक्त 1-अनस पुत्र हारुन नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद 2-मोईन पुत्र नसीम नि0 मौ0 गढी टावर वाली गली कस्बा व थाना पिलखुआ हापुड 3-विशाल पुत्र हरिराम नि0 म0न0 18 बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद को मेरठ एक्सप्रेसवे अण्डरपास गंग.नहर पटरी व महरोली रेलवे फाटक से कुल 09 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 626/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनस व मु0अ0सं0-627/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोईन व मु0अ0सं0 628/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्तगण आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु गांजा तस्करी करने का काम करते हैं। अभि0गण मो0सा0 अपाचे सफेद रंग UP37N 4538 से गांजा तस्करी के लिए जा रहे थे। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर गांजा सप्लाई करने वालों को चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***नाम पता अभियुक्तगण*:-**

- 1-अनस पुत्र हारुन नि0 मौ0 कुरैशियान कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद उम्र करीब-25 वर्ष
- 2-मोईन पुत्र नसीम नि0 मौ0 गढी टावर वाली गली कस्बा व थाना पिलखुआ हापुड उम्र करीब-22 वर्ष
- 3-विशाल पुत्र हरिराम नि0 म0न0 18 बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम गा0बाद उम्र करीब-25 वर्ष

***बरामदगी का विवरण*:-**

- (1) 09 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा ,
- (2) घटना मे प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे सफेद रंग UP37N 4538

***आपराधिक इतिहास अभि0 अनस*:-**

- (1)मु0अ0सं0 626/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनस थाना मसूरी
- (2)मु0अ0सं0 225/16 धारा 394/323/506 भादवि थाना भोजपुर
- (3)मु0अ0सं0 70/20 धारा 3/25 ए एक्ट थाना विजयनगर
- (4)मु0अ0सं0 526/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्द्रापुरम
- (5)मु0अ0सं0 527/18 धारा 482 भादवि थाना इन्द्रापुरम

***आपराधिक इतिहास अभि0 मोईन*:-**

- (1)मु0अ0सं0-627/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोईन

***आपराधिक इतिहास अभि0 विशाल*:-**

- (1)मु0अ0सं0 628/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त को शरण देने का आरोपी गिरफ्तार किया गया

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा मु0अ0सं0- 207/21 धारा- 302/34 भादवि के वांछित अभियुक्त मिदू उर्फ अली मौहम्मद पुत्र रशीद निवासी खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को घर पर शरण दे रहे अभियुक्त बबलू उर्फ नाजिम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी खानपुर जप्ती थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को दिनांक: 14/07/2021 को अभियुक्त के मकान खानपुर जप्ती थाना

ट्रोनिका सिटी से दौराने दबिश गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 447/21 धारा-216 भादवि पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्त के द्वारा हत्या में वांछित अभियुक्त को अपने घर में शरण देना। अभियुक्त ने बताया कि मिदू उर्फ अली मोहम्मद मेरा सगा चाचा है इसलिए उसे शरण दे रहा था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बबलू उर्फ नाजिम पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी खानपुर जमी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु -0अ0स0-447/21 धारा- 216 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह बरामद।

जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर 05 लाख रुपये की रंगदारी माँगने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 155/21 धारा 384/507 भादवि में वांछित अभियुक्तो 1. नितिन पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. सुमित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज के साथ दि0 15/07/2021 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि मण्डोली कारागार में निरुद्ध अपराधी दीपक पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी के कहने पर हमारे द्वारा रंगदारी मागी गई थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नितिन पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. सुमित पुत्र सतपाल निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-158/21 धारा 384/507 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0- 448//2021 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3. मु0अ0स0 449/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस
2. एक अदद चाकू नाजायज

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर बरामद ।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 15-07-2021 को चैकिंग के दौरान रावली तिराहा एनएच 58 के पास से धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 में दिनांक 19.06.2021 से 06 माह के लिए जिला बदर चल रहे अभियुक्त इरफान पुत्र यूसुफ नि0 झिल वाली मस्जिद कच्ची सराय थाना मुरादनगर गा0बाद को 01 अदद तमन्चा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त –

इरफान पुत्र यूसुफ नि0 झिल वाली मस्जिद कच्ची सराय थाना मुरादनगर गा0बाद

पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 713/21 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर गा0बाद
- मु0अ0सं0 714/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधि0 थाना मुरादनगर गा0बाद

बरामदगी का विवरण

- एक अदद तमन्चा 315 बोर

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन मे थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 180/21 धारा 147/149/323/504/307/332/353/186/188/269/270 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट में वांछित अभियुक्त तबरेज पुत्र ऐतकाद उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम त्यौडी 7 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

तबरेज पुत्र ऐतकाद उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम त्यौडी 7 बिस्वा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 180/21 धारा 147/149/323/504/307/332/353/186/188/269/270 भादवि व 7 क्रि0ला0 एक्ट



थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा बैंक में फर्जी चैक के माध्यम से बड़ी धनराशि ट्रांसफर कराने वाले 02 शातिर अपराधी एक लाख 4 हजार 310 ₹ की नगद धनराशि व फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 14.07.2021 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा कौशाम्बी बस अड्डा के गेट न0 1 के पास से बैंक में फर्जी चैको के माध्यम से बैंको से पैसे को फेक आईडी पर खुलवाये गये खातों में ट्रांसफर कर निकालने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से एक लाख 4 हजार 310 ₹ रूपये व फर्जी दस्तावेज बरामद किये गये ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- रुबल वर्मा s/o वीरेन्द्र वर्मा नि0 मौहल्ला सौदाग्राम कच्ची मस्जिद के पास कस्बा व थाना बरेली जिला बरेली हाल पता पावर हाउस के पास विकासनगर थाना विकासनगर लखनऊ ।
- 2- अमन सिंघल S/O अजय कुमार नि0 म0न0 350 ऋषिनगर नियर शिव मन्दिर हिसार थाना सिटी जिला हिसार हरियाणा ।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो एक सुनियोजित तरीके से बैंक के ऐसे खातों को चिन्हित कर जिनमें अमाउंट होता और उस खाता धारक के खाते से सम्बन्धित जानकारी जुटा कर व रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की फर्जी मिसिंग लिखाकर उसी नम्बर की दूसरी सिम प्राप्त करके आन लाईन मोबाइल नम्बर को सिस्टम में डालकर खाते की डिटेल्स प्राप्त करते हैं फर्जी जाली चैक व RTGS के माध्यम से अन्य खातों में पैसा ट्रांसफर करके निकालते हैं । अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास व अन्य साक्ष्यों की जानकारी जुटाई जा रही है ।

बरामदगी का विवरण -

1. एक लाख 4 हजार 310 रूपये ।
2. चैक बुक

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 0432/2021 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 थाना लिंक रोड गाजियाबाद